फर्द अहकाम

(नियम 26)

फर्द अहकाम

अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर

किस्म मुकदमा रेफरेन्स नम्बर 14 / 2019 सन

सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम दानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
2—8—24	पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 1012 रकबा 2.05 है0, 1011 रकबा 1.04 है0 सम्वत् 2026 में लोहरे पुत्रे टुण्डे माली सा0 कुम्हेर दरवाजा गैर खातेदारी दर्ज थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 20617 / 0.04, 2619 / 0.05, 2654 / 0.03, 2658 / 0.04 है0 चक नम्बर 02 कस्बा भरतपुर में स्थित है। अप्रार्थीगण ने नियमों के खिलाफ खतोदारी अधिकार प्राप्त किये हैं तथा जरिये विरासत/अन्य अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये हैं। मोके पर वर्तमान में भूमि सी.एफ.सी.डी के बहाव क्षेत्र में है। अप्रार्थी0 ने मिलीभगत कर जलभराव क्षेत्र में विवादित आराजी पर अवैध रुप से खातेदारी प्राप्त कर ली है जो निरस्त करने योग्य है। रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी0 की खातेदारी निरस्त कराये जाने एवं पूर्व की स्थिति कायम किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने की प्रार्थना की। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते आगे जाहिर किया कि विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी. क्षेत्र में नही आती है, और नाहीं यह भूमि पानी भराव क्षेत्र की है। विवादित आराजी आबादी की भूमि है। तहसीलदार ने गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स किया है। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि विवादित आराजी को लेकर पूर्व में तहसीलदार भरतपुर ने पूर्व में एक रेफरेन्स नम्बर /4/10 उनवनी राज.सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम दानसिंह वगे0 श्रीमान के न्यायालय में पेश किया था, श्रीमान द्वारा उक्त रेफरेन्स को अपने निर्णय दिनांक 28.5.2012 को स्वीकार करते हुये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा गया था। योग्य अभिभाषक ने पत्रावली में सलंग्न फोटो सत्यप्रतिलिपि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर रेफरेन्स /3471/2014 उनवानी सरकार बनाम दानसिंह वगे0 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर आज भी लम्बित है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निणर्य लिया जाना है। जब अप्रार्थीगण के खिलाफ विवादित आराजी को लेकर पूर्व से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर रेफरेन्स विचाराधीन है तो वर्तमान में रेफरेन्स कार्यवाही को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।	

जिला कलक्टर

भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनो पर गौर किया। वर्तमान में तहसीलदार भरतपुर ने विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 1012 रकबा 2.05 है0, 1011 रकबा 1.04 है0 सम्वत् 2026 में लोहरे पुत्र टुण्डे माली सा0 कुम्हेर दरवाजा गैर खातेदारी दर्ज थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 20617/0.04, 2619/0.05, 2654/0.03, 2658/0.04 है0 चक नम्बर 02 कस्बा भरतपुर में स्थित हैं को सी.एफ.सी.डी बहाब क्षेत्र में बताते हुये उक्त खसर नम्बरान पर नियम विरुद्ध हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज निरस्त कराये जाने एवं पूर्व स्थिति सरकारी भूमि दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 22.8.2019 को इस न्यायालय में पेश किया गया है।

तहसीलदार भरतपुर ने अपने उक्त रेफरेन्स में पूर्व में प्रेषित किये गये रेफरेन्स का कोई हवाला नहीं दिया गया है। पूर्व में भी इन्हीं खसरा नम्बरान को लेकर अप्रार्थीगण के खिलाफ रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया गया था। पत्रावली में उपलब्ध फोटो सत्यप्रतिलिपि पूर्व प्रेषित रेफरेन्स संख्या 4/10 उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम दानसिह वगे0 का अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार भरतपुर ने इन्ही विवादित खसरा नम्बरान को तथा इन्हीं पक्षकारान को लेकर उक्त रेफरेन्स पेश किया गया था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–5–2012 को आदेश पारित किया कि :–

> "..........प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुक्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि जमाबन्दी सं0 2014 लगायत 2017 में गत आराजी खसरा नम्बर 1011 रकवा 1–12 व खसरा नम्बर 1012 रकबा 2–05 वीघा में लोहरे पुत्र टुण्डे माली बाके कस्वा चक नं. 2 भरतपुर पट्टेदार साल एक दर्ज है को बिना किसी सक्षम आज्ञा के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किये गेय इन्द्राज को निरस्त किया जावे तथा इसके बाद हुये सभी विवादित आराजी के किये गये विक्रय बैयनामा (हस्तान्तरण) को भी शुन्य घोषित किया जावे। इन्द्राजात को कलमजन कर उक्त आराजी को राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय होने तक अप्रार्थीगण विवादित आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 7–8–2012 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे........।"

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति प्रमाणित माननीय राजस्व मण्डल अजमेर आर्डरसीट 18.6.2014 प्रकरण रेफरेन्स नम्बर एलआर 2471/2014 उनवानी राज0सरकार बनाम दानसिह वगे0 के अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय द्वारा प्रेषित माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स नम्बर एलआर 2471/2014 पर दर्ज रजिस्टर है। इस रेफरेन्स की आर्डर सीट दिनांक 21.9.2023 में आगामी दिनांक 19.12.2023 नियत की गई है। यानि आज भी

जिला कलक्टर

उक्त रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उन्ही खसरा नम्बरान एवं उन्हीं पक्षकारान को लेकर तहसीलदार भरतपुर किये गये विचाराधीन नये रेफरेन्स कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्राप किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विचाराधीन रेफरेन्स को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रेफरेन्स की परिप्रेक्ष्य में इसी स्टेज पर ड्राप की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रेफरेन्स एल.आर संख्या 3471/2014 जिला भरतपुर उनवानी राज.सरकार बनाम दानसिंह वगै0 में प्रभावी पैरवी किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर